न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/07/18	02–02–2018	20–03–2018

1–सेवाराम पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम बूढीबावल तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1–भोलाराम पुत्र श्री मांडू
2–रामकिशोर पुत्र श्री रामचन्द
3–रामफल पुत्र श्री रामचन्द
4–ईश्वर पुत्र श्री रामचन्दर निवासी ग्राम बूढीवाल तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
5–कलावती पत्नि श्री रामचन्द्र
6–सावत्री पुत्री रामचन्द्र
7–मुन्नी पुत्री रामचन्द्र जाति अहीर निवासीयान बूढीवाल तहसील कोटकासिम जिला अलवर
8–वीरसिंह पुत्र श्री सेवाराम
9–अजीसिंह पुत्र श्री सेवाराम
10–बलवान पुत्र श्री सेवाराम
11–वीरअर्जुन पुत्र श्री सेवाराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम बूढीबावल तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री संजय यादव –वकील प्रार्थी

02. श्री कप्तान भारद्वाज –वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट प्रकरण बअनुवानी भोलाराम वगै0 बनाम सेवाराम वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में भोलाराम वगै0 बनाम सेवाराम वगै0 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम बहस सुनकर निर्णय हेतु पत्रावली नियत की गई थी। बहस दिनांक 26.12.2017 को सुनी गई थी, लेकिन निर्णय पारित नही किया गया। आगामी तारीख पेशी भी नही बतलाई गई, तथा पत्रावली पीठासीन अधिकारी के पास काफी समय से रखी हुई है। अप्रार्थीगण द्वारा गांव में एलानिया तौर पर धमकी दी जा रही है, कि निर्णय हर सूरत में हमारे पक्ष में होगा प्रार्थी किसी कार्य से वकील साहब से मिलने न्यायालय परिसर में आया तो अप्रार्थी संख्या 01 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से निकलते हुए देखा गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस सुनते वक्त यह जाहिर किया गया कि तुम्हारा पक्ष कमजोर है। वादीगण का वाद पूर्णतया साबित होता है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा खुले न्यायालय में किये गये इस व्यवहार से प्रार्थी को आंशका उत्पन्न हो गई है, कि अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी को निस्पक्ष

न्याय करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है। पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दबाव में है। जिस कारण प्रार्थी को तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नही है। इसलिऐ उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नही कर जवाब बंद करने का निवेदन किया तथा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी से कोई बातचीत नही हुई है। समस्त तथ्य मनगढंत, बनावटी है। प्रार्थना पत्र बिना किसी युक्तियुक्त कारण के महज प्रकरण लम्बित करने के लिए पेश किया गया है, तथा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद के संशोधित टाईटल की प्रमाणित प्रति पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी नम्बर 01 भोलाराम को पीठासीन अधिकारी महोदय के चैम्बर से निकलते हुए देखा है। जबकी अप्रार्थी नम्बर 01 भोलाराम पूर्व में ही फोत हो चुके थे। प्रार्थना पत्र में अंकित आक्षेप कल्पित रूप दर्ज किये है, जिनका कोई सम्बन्ध नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए व उसकी प्रक्रिया का नाजायज रूप से फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेंजात एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रकरण में प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 की बहस दिनांक 27.12.2017 को सुनी गई। आगामी दिनांक 11.01.2018 नियत कि गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु बेबुनियाद, मनगढंत एवं गलत है। प्रार्थी अपना वाद दीगर न्यायालय में मुन्तकिल कराना चाहाता है। यदि यह प्रकरण दीगर न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ केवल स्वयं का हलफनामा लगाया है अपने कथन के समर्थन में अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ पत्र पेंश नहीं किया है। तथा संशोधित वाद की प्रमाणित प्रति से भी स्पष्ट है, कि अप्रार्थी संख्या 01 पूर्व में ही फौत हो चुका है। आरोपों के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र का लम्बी अवधि तक चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20–03–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.3.18

(बी.एल.रमण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)